

प्रेस विज्ञप्ति थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 10.09.2021

35 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, नौशादर लगभग 200 ग्राम व यूरिया लगभग 500 ग्राम के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना गुलरिहा पर दिनांक 09.09.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा कड़े निर्देश दिये गये थे। जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व एवं निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के चलाये जा रहे शराब निष्कर्षण अभियान के तहत अभियुक्ता उर्मिला पत्नी सुरेन्द्र निषाद निवासी सराय गुलरिहा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर की गिरफ्तारी की गयी जिनके कब्जे से 35 ली० अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व नौशादर लगभग 200 ग्राम व यूरिया लगभग 500 ग्राम बरामद हुआ है। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 501/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्ता का नाम व पता:-

उर्मिला पत्नी सुरेन्द्र निषाद निवासी ग्राम सराय गुलरिहा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 501/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

ग्राम सराय गुलरिहा दिनांक 09.09.2021 समय 18.00 बजे

अभियुक्ता के पास से बरामदगी का विवरण

बरामदगी 35 ली० अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व नौशादर लगभग 200 ग्राम व यूरिया लगभग 500 ग्राम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम पद

1. उ०नि० श्री अजय वर्मा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० श्री उ०नि० राकेश कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. उ०नि० श्री सुनील कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
4. हे०का० अनिल कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
5. का० दयाशंकर पटेल थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
6. म०का० पूजा कुमारी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर